न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी
तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई

वाद सं0टी0–20161033032964
अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता–2006
ग्राम रूदामऊ बा0टा परगना मल्लावां
बिलग्राम जनपद हरदोई

श्री सतगुरूसांई महाविद्यालय रूदामऊ द्वारा प्रबन्धक अरविन्द कुमार पुत्र रामकिशोर नि0 बांसा परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई————————वादी

बनाम

उ0प्र0सरकार————————————प्रतिवादी

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अरविन्द कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि भूखण्ड सं0–1117मि0/0.7770हे0, 1119मि0/0.2530हे0 स्थित ग्राम रूदामऊ बा0टा0 परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई विद्यालय की भूमि है जिसका प्रार्थी प्रबन्धक है। उपरोक्त भूखण्ड पर कृषिकार्य नहीं होता है और न उक्त भूखण्ड जोता–बोया जाता है। उक्त भूखण्ड पर कुछ भूमि रकवा पर विद्यालय बना है तथा शेष भूमि विद्यालय की फील्ड है इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड विद्यालय के उपयोग में लाये जाते है। उपरोक्त भूखण्ड़ पर कृषिकार्य न होने के कारण भू0राजस्व मुक्त घोषित किया जाना कानूनन आवश्यक है। अन्त में भूखण्ड़ सं0 1117मि0/0.7770हे0 व 1119/0.2530हे0 स्थित ग्राम रूदामऊ बा0टा0 परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई को धारा 43 जमी0वि0 अधि0 के तहत भू0राजस्व मुक्त घोषित करने की याचना की गयी है। तहसीलदार बिलग्राम से आख्या प्राप्त की गयी। राजस्व निरीक्षक/लेखपाल ने अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि भूखण्ड़ सं0 1117मि0 क्षे0 7770हे0 व 1119मि0 क्षे0 0.2530हे0 स्थित ग्राम रूदामऊ बा0टा0 परगना मल्लावां खातेदार श्री सद्‌गुरूसांई महाविद्यालय रूदामऊ द्वारा प्र0 अरविन्द कुमार के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि पर विद्यालय निर्मित है व शेष भूमि विद्यालय की फील्ड है जो विद्यालय के उपयोग में है। अन्त में भूखण्ड़ सं0–1117मि0/0.7770हे0 व 1119/0.2530हे0 पर कृषिकार्य, बागवानी, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन से भिन्न प्रयोजन हेतु अकृषिक रूप में प्रयोग में लाई जा रही है जिसे राजस्व मुक्त अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। राजस्व निरीक्षक/लेखपाल की आख्या को तहसीलदार बिलग्राम द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया। मैनें पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। तहसीलदार बिलग्रम की आख्या से सहमत होते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम रूदामऊ बा0टा0 परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम की खतौनी सन् 1420–1425फ0 की खाता सं0–758 पर अंकित गाटा सं0–1117मि0/0.7770हे0 व 1119मि0/0.2530हे0 कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन से भिन्न अकृषिक (विद्यालय) उपयोग में लाये जाने के कारण उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत भू0 राजस्व मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबन्धक बिलग्राम को भेजी जाये। परवाना अमल दरामद जारी किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक–09.08.2016

(प्रेम प्रकाश तिवारी)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई।

कार्यालय उपजिलाधिकारी बिलग्राम हरदोई

Date of Application 9-08-16
Date of Posting 11-08-16
Time taken for
Signature of
Delivering Co.
Date of Delivery